नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (66). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (66), दिनांक 06-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 6th August 2018

NOTIFICATION
22/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-41/2018/CT/V (66). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No. 8/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (76), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, and last amended vide notification No. 12/2018-State Tax (Rate), F-10-43/2018/CT/V (50), dated the 29th June, 2018 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 249, dated the 7th July, 2018, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and words "30th day of September, 2018", the figures, letters and words "30th day of September, 2019" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

अधिसूचना

सं. 31/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (67). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का पूरा प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 फाइल नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऐसे करदाता" कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे ।